REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चिंतन में दलित विमर्श : भारतीय महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में

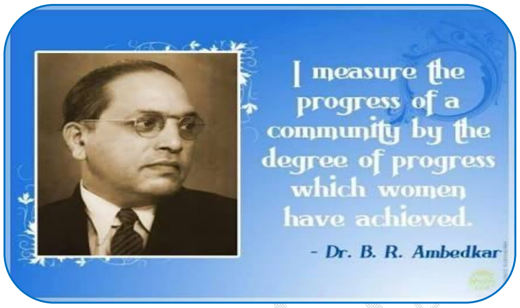

कु. वर्षा[1] , प्रो.हिमांशु बौड़ाई[2]
[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल।
[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल।

प्रस्तावना :

डॉ० भीमराव अम्बेडकर २०वीं सदी के उन महान विचारकों में से एक हैं जो कि भारतीय समाज में मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वे भारत के आधुनिक रचनाकार एवं अछूत समाज के वंचित दलित वर्गों के विमोचक हैं। जिन्होंने सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए।[1] बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय समाज में दलितों एवं अछूतों की दयनीय दशा के प्रति जितने सजग थे, उतने ही सजग वे भारतीय महिलाओं के प्रति थे। वे सदैव स्वतंत्रता एवं समानता के प्रबल समर्थक रहे। वे भारतीय समाज में हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत वांछनीय मौलिक परिवर्तन चाहते थे। वास्तविक अर्थों में वे हिन्दू धर्म में सुधार लाना चाहते थे। हिन्दू समाज में अछूतों की दयनीय दशा थी। सामाजिक असमानता, अन्याय, अत्याचार एवं शोषण ने उन्हें समाज में सुधार एवं पुनर्गठन हेतु मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्री जाति सदैव से ही उपेक्षित रही हैं।[2]भारतीय समाज की नारी का जीवन सदैव ही अत्याचार में व्यतीत रहा। वर्णवादी व्यवस्था, शूद्र नारी होने एवं मनुवादी व्यवस्था के कारण वे अत्याचार को झेल रही थी। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में नारी की दयनीय दशा को देखते हुए उन्हें सदैव ही जागृति, समता, स्वतंत्रता को दिए जाने का संदेश दिया। दलित होने के कारण उन्होंने सदैव ही असमानता की वेदना को झेला और दलितों को बताया कि स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दान के स्वरूप में उन्हें प्राप्त नहीं होंगे अपितु उन्हें इन अधिकारों की प्राप्ति हेतु स्वयं से ही प्रयास करने होंगे।[3]

भारतीय समाज में दलित वर्गों की दशा अत्यन्त दयनीय है जो कि सदियों से असमानता, अन्याय एवं उत्पीड़न पर टिकी हुई है।[4] अम्बेडकर सदैव ही भारतीय समाज के उन वर्गों के प्रति संघर्षशील रहे जिन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनके लिए मात्र अछूत वर्ग ही दलित नही थे, अपितु समाज का हर वह वर्ग दलित था जिनको कि मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। वे सदैव नारी को पुरुषों के समान ही समान अधिकारों को दिए जाने के पक्षधर रहे। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय नारी शोषण एवं असमानता का शिकार रही है जिन्हें कि समाज में वास्तविक अधिकारों से वंचित रखा गया है। उनका मानना था कि मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है और वह स्त्री एवं पुरुष दोनों के आधार स्तम्भों पर ही टिका है। दोनों का ही समाज में महत्व है, किन्तु फिर भी समाज में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नही है। अम्बेडकर के मतानुसार स्त्री ही समाज का मुख्य आधार स्तम्भ होती है, वह शिक्षा की प्रथम पाठशाला होती है। अत: उन्हें निश्चित रूप में मानवाधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।[5]

प्राचीन काल में भारतीय महिलाऐं :—

प्राचीन भारतीय समाज में महिला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय सैंधव कालीन सभ्यता में पाये जाने वाली मूर्तियां एवं आभूषण महिलाओं की दशा को परिलक्षित करते हैं। लोपमुद्रा, घोश, आत्रेयी, आंगिरसी, विश्ववारा, श्रद्धा, अवंति आदि महिलाऐं प्राचीनकाल में सदैव ही गौरव का प्रतीक रही है। स्त्री माँ एवं देवी का स्वरूप रही एवं शक्ति के रूप में पूजनीय रही। भारतीय प्राचीन ग्रंथों ने उसे शक्ति, ज्ञान एवं समृद्धि का रूप माना। भारतीय महिलाओं की विद्यमान वैदिक दशा के फलस्वरूप सभी आदर्शों का रूप नारी में देखने को मिला। उदाहरण स्वरूप विद्या का आदर्श सरस्वती, धन का रूप लक्ष्मी, पराक्रम का रूप दुर्गा, सौन्दर्य का प्रतीक रति, पवित्रता का पर्याय गंगा एवं विकारलता का स्वरूप काली, इतना ही नहीं अपितु सर्वशक्ति रूप देवता को भी जगत जननी के रूप में माना गया।[६]

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति को समाज में ऊँचा दर्जा प्रदान किया गया था। अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए वह पुरोहितों एवं महर्षियों के समक्ष धार्मिक क्रियाओं में भी अपनी सहभागिता दिया करती थी। उन्हें गृहणी एवं अर्धांगिनी से सम्बोधित किया गया। प्राचीन कालीन व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इतना ही नहीं अपितु महिलायें सार्वजनिक कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया करती थी। इस युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथायें व्याप्त नही थी। महिलाओं के विवाह के लिए एक परिपक्व उम्र सुनिश्चित थी। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति एवं सम्पति के अधिकार आदि सभी समान रूप से प्राप्त थे, किंतु इसके बाद धीरे—धीरे नारी के प्रदत्त अधिकारों में ह्रास देखने को मिला और फलस्वरूप नारी को विभिन्न अधिकारों जैसे कि शिक्षा, स्वतंत्रता एवं धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित किया जाने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरुषों पर आश्रित होना पड़ा। प्राचीन कालीन व्यवस्था में नारी के विषय में मनु ने कहा था कि नारी का बचपन पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के आधिपत्य में एवं पति के मृत्यु के पश्चात् पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। एक तरफ तो भारतीय समाज में नारी को सदैव उच्च स्थान प्रदान किया गया, मर्यादा के क्षेत्र में उन्हें पुरुष से भी श्रेष्ठ माना गया किंतु दूसरी ही तरफ उनके साथ अन्याय एवं अत्याचारों का किया जाना प्रारम्भ हो गया था। नारी पर विभिन्न प्रकार के बंधनों को लगाया जाने लगा। जैसे कि पर्दे में रहना, पुरुषों की आज्ञा का पालन करना, चारदीवारी के अंदर रहना, पलट कर जवाब ना देना आदि। इन सब प्रतिबंधों के आधार पर नारी केवल एक भोग्या के रूप मात्र में ही रह गयी तब नारी को मात्र संतान उत्पन्न करने के लिए एक मशीन के स्वरूप समझा गया। उसे मात्र एक वस्तु का स्वरूप दे दिया गया।

मध्यकाल में भारतीय महिलाऐं :—

मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में और अधिक गिरावट देखने को मिली। इस काल में स्त्रियों की दशा को देखते हुए इस काल को 'कालायुग' के नाम की संज्ञा दी गयी। इस काल में भारत के राजाओं में पड़ी आपसी फूट का फायदा मुसलमानों के द्वारा उठाया गया एवं भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस काल में यह बात मुख्य रूप में कही गयी कि स्त्री को सदैव ही किसी ना किसी संरक्षण में रखना चाहिए। इस काल में नारी की दशा दयनीय रही। बाल विवाह किए जाने के साथ ही साथ पर्दा प्रथा की व्यवस्था ने नारी को चारदीवारी में कैद करके रख दिया था। शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से भी उन्हें वंचित रखा गया। सती प्रथा के कारण भी नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही जिस दौरान पति को परमेश्वर मानना, पतिव्रता धर्म का पालन करना एवं पति के आदेशों का पालन किया जाना नारी के लिए अनिवार्य माना गया। इस तरह मध्यकाल में नारी को जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों के अधीन माना गया।[७] मध्यकाल में नारियों की स्थिति कुछ ऐसी हो गयी कि उन्हें मात्र एक वस्तु के रूप में जाना गया एवं उपयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में व्याप्त नारियों की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा आदि प्रथाओं ने नारी की स्थिति में गिरावट ला दी थी। जिसके फलस्वरूप ही मध्यकाल को भारतीय संस्कृति में महिलाओं का 'अंधकार का युग' कहा गया।[८]

आधुनिक काल में भारतीय महिलाऐं :—

भारत में आधुनिकता के प्रवेश होने के साथ ही साथ समाज में सुधारात्मक परिवर्तन देखने को मिले।[९] १९वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने महसूस किया कि हिन्दू महिलाऐं स्वाभाविक रूप से मासूम एवं अन्य महिलाओं से अधिक सच्चरित्र होती हैं अंग्रेजी शासन के समय में राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले आदि ऐसे महान सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किए। राजा राममोहन राय के प्रयास से 'सती प्रथा' विनाश का कारण बना। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के योगदान से विधवाओं की दयनीय दशा की स्थितियों को सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६ का अधिनियम आया। इसी दौरान रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए।[१०] मध्यकाल समाज में नारी की स्वतंत्रता एवं विकास पर जिन मर्यादाओं को लगाया गया था वे आधुनिक काल के आते—आते कुछ वर्षों तक जारी रहे। मध्यकाल के दौरान अंग्रेजों के भारत आगमन से वैचारिकी क्रांति उत्पन्न हुई एवं समाज में सुधार की ओर ध्यान दिया गया, किंतु स्त्रियों की स्थिति के सुधार हेतु प्रयास १९वीं शताब्दी के मध्य में किए गए। आधुनिक युग में भी भारत में कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, विधवा जीवन एवं अशिक्षा जैसी व्याप्त सामाजिक कुरीतियों से महिलाओं को मुक्ति नहीं मिली। फलस्वरूप स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न, अमानवीय प्रथाओं व रीति रिवाजों का प्रचलन व्याप्त रहा। आधुनिक काल में इस शोषण के विकट तीक्ष्ण स्वर उठे एवं उनके उद्धार हेतु प्रयास किए गए।

पाश्चात्य प्रभाव एवं औद्योगिकरण के पश्चात् भारत की स्त्रियों के उद्धार को बल मिलने लगा एवं महान शिक्षितों तथा समाज सुधारकों के सहयोग से महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति में वॉछनीय सुधार देखने को मिले। तत्पश्चात् समाज में व्याप्त कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह व बेजोड़ विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध कर नारी उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रयास किए गए।

१९वीं शताब्दी में कुछ ऐसे ही प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा एवं कन्यावध जैसी कुप्रथाओं को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की प्रेरणा से कानूनी तौर पर लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाया गया जिससे कि वे अपने अस्तित्व एवं विवाह के वास्तविक अर्थ को पहचान सके। इसके साथ ही साथ हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह को भी कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई एवं महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने के सफल प्रयास भी किए गए।[११]

डॉ० अम्बेडकर का दलित विमर्श एवं महिला उत्थान :—

भीमराव अम्बेडकर ने सदियों से समाज में चली आ रही नारी के उत्पीड़न एवं शोषण को समाप्त करने के साथ ही उनके अंधकार युक्त जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। स्त्रियों की समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों की प्राप्ति के लिए वे सदैव से ही समर्पित रहे। भारत के सम्पूर्ण नारी समाज को विचार शक्ति, एवं चिंतन शक्ति को दिये जाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। वे एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने भारत की मूक नारी समाज को एक सशक्त वाणी प्रदान की जिससे कि भारतीय नारी के अंधकार जीवन में प्रकाश जग उठा।[१२]

बाबा साहेब के स्त्री हित सम्बन्धी विचारों का स्पष्ट प्रमाण हमें उनके द्वारा अपनी पत्नी को दिए गए पत्र से स्पष्ट होता है। उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को लिखे पत्र में विचार व्यक्त किये कि ''प्रिय रामू मैं स्त्री मुक्ति के लिए लड़ने वाला सिपाही हूँ। मेरा किसी ने कितना भी विरोध किया तो भी मैं स्त्रियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए शरीर से खून की आखिरी बूंद तक लड़ता रहूँगा किन्तु पीछे नहीं हटूँगा।'' उनके इस पत्र के प्रारूप के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके मन में स्त्री उद्धार के प्रति कितनी तड़प थी। इस कारण उन्हें स्त्री उद्धारक के रूप में जाना जाता है।[१३]

अम्बेडकर एक मानवतावादी विचारक थे जिन्होंने स्त्रियों की मानसिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनयिक स्वतंत्रता आदि के प्रति गहन अध्ययन किया। भारतीय नारी की पीड़ा को उन्होंने बड़े करीब से जाना। अम्बेडकर ने भारतीय दलितों के प्रति होने वाले अत्याचारों से दुखी होकर कहा कि मेरा रोम—रोम चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह करता है। इस आधार पर बाबा साहेब ने भारत के स्वतंत्र होने पर और सुअवसर के प्राप्त होने के फलस्वरूप अछूतों की अधिकांश समस्याओं को हल करने के

पश्चात् भारतीय समाज में नारियों की समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।[१४] बाबा साहेब ने भारतीय नारी को समानता एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु मनु द्वारा प्रणीत अन्यायों पर आधारित व्यवस्था का समूल नष्ट करने हेतु प्रबल रूप से जन चेतना जगाई एवं देश के संविधान में उसे विधिवत रूप से परिणित करके न्याय की स्थापना के लिए वांछित प्रयास किए।

अम्बेडकर ने महिलाओं की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था—''मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।'' उनकी दृष्टि में किसी भी समाज की उन्नति का मापदंड नारी है, पुरुष नहीं।[१५]बाबा साहेब अम्बेडकर स्त्रियों के समक्ष एक महान आदर्श के रूप में परिलक्षित हुए। स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, विधवा विवाह, मुआवजा मिलने का अधिकार, अंतर्जातीय विवाह की मान्यता आदि सभी स्त्री सम्बन्धी अधिकारों की प्राप्ति हेतु वे सदैव ही संघर्षरत रहे। स्त्री सम्बन्धी विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने स्त्री में वैचारिक परिवर्तन एवं जागृति लाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनके लिए मात्र सभाएं एवं सम्मेलन परिषद तक सीमित न रहकर स्त्रियों को समानता के लिए वैधानिक रूप से सुविधाएँ दिए जाने के प्रयास किए। उनका सदैव ही यह विचार रहा कि स्त्री का वास्तविक उद्धार बाह्य भौतिक परिवर्तन मात्र से ही नही होगा अपितु भीतरी मानसिक विकास से ही सम्भव होगा।[१६] अम्बेडकर का मत था कि सामाजिक क्रान्ति एवं परिवर्तन के लिए स्त्री वर्ग को भी निश्चय ही पुरुष वर्ग का सहयोगी बनाना होगा। उनका मानना था कि समाज के आधे अंग को बिना जागृत किए समाज में क्रांति लाना सम्भव नहीं है। बंबई के एक महिला सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ''नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना एक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है।'' नारी को उन्होंने सदैव ही उन्नति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

अम्बेडकर ने महिलाओं के उद्धार हेतु सदैव ही सराहनीय प्रयास किए। उन्होंने १३ नवम्बर, १९३० को कालाराम मंदिर (नासिक) में प्रवेश हेतु आंदोलन में हजारों महिलाओं के साथ सत्याग्रह किया। २५ दिसम्बर, १९२७ महाड़ के ऐतिहासिक सम्मेलन में नारी जीवन को अंधकार में धकेलने वाली मनुस्मृति को जला कर महिलाओं में क्रांति का बिगुल बजाया। १२ अक्टूबर, १९२९ को पूणे के पार्वती मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। १९३१ को लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में अछूत (स्त्री—पुरुष) को पृथक मतदान के अधिकार दिलाने हेतु आवाज उठाई।

सन् १९३२ में पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने दलित स्त्री एवं पुरुषों को संसद, विधान सभा एवं नौकरियों में आरक्षण को दिए जाने हेतु आंदोलन किया। सन् १९५० में संविधान के माध्यम से देश के सभी नागरिक अर्थात् स्त्री एवं पुरुष को बिना भेदभाव अर्थात् लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, भाषा एवं जन्मस्थान के आधार पर मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों को दिलाया।[१७]

अम्बेडकर का मानना था कि प्राचीन काल से ही मनु व्यवस्था ने अस्पृश्य जातियों के विकास में बाधाऐं उत्पन्न करने के साथ ही साथ स्त्री जाति की स्वतंत्रता एवं विकास के मार्गों में सदैव ही अवरोध उत्पन्न किया है। बाबा साहेब ने 'महाबोधि' मासिक—पत्रिका में 'हिन्दू—नारियों का उत्थान और पतन' शीर्षक पर अपना एक विस्तृत लेख लिखा था। इस लेख का प्रमुख उद्देश्य एक लेखक के ईल्सटिड वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका में गौतम बुद्ध को हिन्दू नारियों के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए दिया गया जबाव था। बाबा साहेब के मतानुसार गौतम बुद्ध ने स्त्रियों और उनके प्रति कभी भी तिरस्कार का भाव नहीं रखा था। उन्होंने अपने लेख के निष्कर्ष में कहा कि ''भारतीय नारियों के पतन और विनाश के लिए अगर कोई कारण हुआ होगा तो वह मनु है बुद्ध नहीं। उनको जब कभी भी अवसर मिला होगा उन्होंने महिलाओं और दलित महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा, सम्मान एवं समाज की सभी गतिविधियों में पुरुषों के समान अपनी भागेदारी सुनिश्चित करने के उपदेश दिए।[१८]

अम्बेडकर ने सदैव ही स्त्रियों के लिए न्याय एवं समानता की वकालत की, उन्होंने स्त्रियों से सदैव यह अपेक्षा की है कि वे अपने दिमाग से भाग्यवादी मानसिकता को परित्याग कर दे। उनकी भाग्यवादी मानसिकता ही निश्चित रूप से दयनीय एवं कष्टदायी जीवन के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही साथ पुरुषों द्वारा उनकी समस्याओं एवं कष्टों की सदैव ही उपेक्षा की गयी है। अतः अम्बेडकर के

अनुसार स्त्री जाति को सशक्त बनाने के लिए शिक्षित एवं संगठित होकर अपने न्याय एवं अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर संघर्ष करना चाहिए।[१९]

डॉ० अम्बेडकर एवं हिन्दू कोड बिल :—

भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की दयनीय दशा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। भारतीय महिलाओं को शिक्षा, सम्पत्ति, स्वतंत्रता एवं आध्यात्मिक गतिविधियों से वंचित रखा गया था। भारतीय महिलाओं की इस दयनीय दशा को देखते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय प्राप्ति हेतु 'हिन्दू कोड बिल' को पेश किया था। किंतु न्याय के इस दस्तावेज के लिए अम्बेडकर को विरोध का सामना झेलना पड़ा। इसके फलस्वरूप उन्होंने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया, वास्तव में बाबा साहेब का यह 'हिन्दू कोड बिल' सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक सराहनीय प्रयास था।यह सदैव ही उल्लेखनीय रहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय के इस दस्तावेज में नाकाम रहने के कारण अपने गौरवान्वित कानून मंत्री के पद को त्याग कर अपने आप को एक ईमानदार, जागरूक एवं सच्चे योद्धा के रूप में परिलक्षित किया।[२०]

अम्बेडकर के अनुसार हिन्दू समाज में जितनी भी कुरीतियॉ एवं बुराइयॉ विद्यमान हैं उनका आधार वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसलिए उनका उद्देश्य एक वर्ण—विहीन समाज का निर्माण करना था। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्र एवं स्त्रियों के साथ जितने भी अमानवीय भेदभाव, अन्याय एवं शोषण किए जाते थे उसकी उन्होंने सदैव आलोचना की। अम्बेडकर ने सदैव यह प्रयास किए कि हिन्दू समाज से वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर समाज में सुधार लाया जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियों कुप्रथाओं का उन्मूलन किया जाए। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए जब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने तो ५ फरवरी १९५१ को उन्होंने संसद में 'हिन्दू कोड बिल' को प्रस्तुत किया। उनके हिन्दू कोड बिल का उद्देश्य स्त्रियों को पारिवारिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्त करा कर पुरूषों के समान ही अधिकारों को दिलाना था। अम्बेडकर के हिन्दू कोड बिल के ४ अंग थे —

१— हिन्दुओं में बहु—विवाह जैसी प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्राविधान जो कि विधिसम्मत हो।

२— स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार देना व गोद लेने का अधिकार देना।

३— पुरूषों के समान स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार देना क्योंकि पहले हिन्दू समाज में केवल पुरूष ही तलाक दे सकते थे।

४— आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार हिन्दू समाज को एकीकृत करके उसे सुदृढ़ करना।

भारतीय संसद में इस बिल को प्रस्तुत करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि इसके सभी प्रावधान भारतीय संविधान से लिए गए है जो स्वतंत्रता,समता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जब से जाति—प्रथा प्रचलित रही है तभी से स्त्रियों का शोषण प्रारम्भ हुआ एवं सम्पत्ति से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। अम्बेडकर के अनुसार हिन्दू धर्म पद्धति में जो विवाह होते है उनमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नही किया जाता है। स्त्री को विवाह के मण्डप में उपदेश दिए जाते है कि वह आजीवन पतिव्रता बनकर पति की पूरी सेवा करेगी किंतु पति भले ही कितना ही बुरा एवं अयोग्य ही क्यों ना हो पत्नी को तलाक देने का अधिकार ना था किंतु इसके ठीक विपरीत वह तलाक देने के पश्चात् कई विवाह भी कर सकता था। इस तरह वास्तविक रूप में विवाह हिन्दू स्त्रियों के लिए दासता एवं शोषण की बेड़ियों के समान है।[२१]

अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि 'हिन्दू कोड बिल' हिन्दू कानून व्यवस्था में सुधार करके उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करेगा। यह देश की एकता के लिए अनिवार्य है कि हिंदुओं के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के स्वरूप को एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था के अनुसार चलाया जाए।[२२]बाबा साहेब अम्बेडकर ने नारी गरिमा को बनाए रखने के लिए'हिन्दू कोड बिल' में इनप्रमुख बातों को समाहित कर यथा जन्मजात अधिकार के सिद्धांत का उन्मूलन, महिलाओं को सम्पत्ति में सम्पूर्ण अधिकार, पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार एवं तलाक की व्यवस्था को

संजोकर'हिन्दू कोड बिल' के आधार परभारतीय नारी को एक सशक्त नारी बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किया।[२३]

'हिन्दू कोड बिल' का मुख्य उद्देश्य ही हिन्दुओं के प्रचलित परम्परागत कानूनों में एकरूपता लाकर उसे वैधानिक रूप देकर उसको आधुनिकृत स्वरूप प्रदान करना था। अम्बेडकर ने कहा कि ''यह हिन्दू कोड बिल हिन्दू धर्म शास्त्रों के आधार पर ही बनाया गया है। यदि हिन्दू न्याय पूर्ण जीवन पद्धति को जीते हैं तो यह बिल इनके मार्ग को प्रशस्त करता है।''[२४] किन्तु भारतीय समाज के कुछ रूढ़िवादियों ने 'हिन्दू कोड बिल'के खिलाफ मोर्चा किया। शंकराचार्य करपात्री ने 'हिन्दू कोड बिल' को हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और समाज–व्यवस्था के मूल पर कुठाराघात बताया। पंडित मदनमोहन मालवीय ने संसद के भीतर एवं बाहर दोनों ही जगह 'हिन्दू कोड बिल' को धर्म के विरूद्ध कहा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भी इस बिल का विरोध किया। सांसद गोपालास्वामी आंयगर ने तो पंडित नेहरू को यह तक कह दिया कि यदि वे 'हिन्दू कोड बिल' को कार्यान्वित करने हेतु ज्यादा जिद करेंगे, तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है किंतु संसद में अम्बेडकर ने इन सभी प्रकार की आपत्तियों का अकाट्य जवाब दिया उन्होंने विवाह को पवित्र मानने वाले लोगों का मुहँ यह कहकर बंद कर दिया था कि पवित्र संस्कार वाला विवाह पुरूष के लिए बहुविवाह की तथा स्त्री के लिए निरंतर दासता की एक प्रथा है।[२५]बाबा साहेब अम्बेडकर सदैव ही स्त्री मुक्ति के समर्थक रहे। उन्होंने केवल दलित स्त्री के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय स्त्रियों के उत्थान के लिए बड़ी बुद्धिमता के साथ 'हिन्दू कोड बिल' की रचना की। समाज में स्त्रियों की सामाजिक समानता की स्थापना के लिए उन्होंने स्त्री मुक्ति को प्रधान स्थान प्रदान किया उन्होंने सदैव ही नारी का आत्मोद्धार, तेजस्विता, स्वाभिमान, स्वावलम्बन एवं आत्म सम्मान की भावना को जागृत करना चाहा।

महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रयास –

अम्बेडकर ने भारतीय नारी को अपमानजनक स्थिति के गर्त में डूबने से एवं दासता की बेड़ियों का शिकार होने सेबचाने के लिए जीवन पर्यन्त प्रयास किए।[२६]भारतीय समाज में आज पुरूषों पर महिला के आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा एवं सरकारों द्वारा उनके सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में कमियों के चलते महिलाओं में वॉछनीय सुधार देखने को नही मिल सके। भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्याप्त धार्मिक एवं रूढ़िवादी प्रचलित प्रथा के कारण महिलाओं को निम्न कोटि की दृष्टि से देखा गया। अम्बेडकर ने समाज में नारी की दयनीय दशा को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का निर्माण किया–

- अनुच्छेद १४ के माध्यम से विधि के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद १५ (१) में लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबन्ध।
- अनुच्छेद ३९ (घ) समान कार्य के लिए समान वेतन का दिया जाना।
- अनुच्छेद ४२ प्रसूति महिला हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान।
- अनुच्छेद ५१ में ऐसी प्रथाएँ जो महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को ठेस पहुँचाती हो, का परित्याग किया जाए।

  इन संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त भी समाज में नारी के उत्थान एवं कल्याण हेतु नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे प्रावधानों को सम्मलित किया गया जिससे कि उन्हें अपने जीवन में समानता मिल सके। राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के भाग ४ अनुच्छेद ३९ से ४२ में नारी को समाज में निम्न सुविधाएं प्रदान कराई गई है –
- हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ के पारित होने से महिलाओं को विवाह के क्षेत्र में अधिकार प्रदान किए गए।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ में पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी पैतृक सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया गया एवं २००५ में इसे संशोधित कर और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया।

- १९५६ में अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम पारित किया गया।
- १९६१ में दहेज निरोध अधिनियम पारित किया गया एवं २००३ में पुन: इसको संशोधित करके इसे गैर जमानती अपराध के रूप में घोषित कर दिया गया।
- १९७० में महिलाओं हेतु समान वेतन का प्रावधान।
- २६ अक्टूबर २००६ को महिलाओं पर घरेलू हिंसा को रोकने का अधिनियम पारित किया गया।[२७]

वर्तमान में भारतीय नारी को अपमानजनक स्थिति से उबारने का श्रेय यदि अम्बेडकर को ही जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नही होगी। उनके योगदान के ही फलस्वरूप नारी आज सशक्त हुई है। उन्होंने सदैव ही एक ऐसे सशक्त समाज की कल्पना की थी जो समानता की आधारशिला पर निर्मित हो उन्होंने न केवल महिलाओं अपितु समाज के प्रत्येक दबे व कुचले वर्ग को उन्नति के मार्ग पर लाने के निरंतर प्रयास किए। भारतीय समाज में हिन्दू नारी प्रचलित अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी प्रथाओं के बंधनों से प्रतिबंधित थी। भारतीय समाज में दलित महिलाओं की दयनीय दशा की स्थिति में सुधार हेतु उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने के निरन्तर प्रयास किए। समाज में अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया वह उन्हें सदैव उन्नति के शिखर पर पहुॅचाता है। बाबा साहेब ने संविधान में महिलाओं के हित एवं कल्याण हेतु उनके अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें समाज में व्याप्त अनेक अंधविश्वासों एवं बंधनों से मुक्त किया। समाज में व्याप्त स्त्री पुरुषों की भेदभावना को समाप्त करते हुए उनके लिए समानता का मार्ग प्रशस्त किया। अत: आज भी वे दलित स्त्री के मार्ग दर्शन के रूप में हमारे सम्मुख विद्यमान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१— पटेल, सुरेश चन्द्र, वर्ल्ड फोकस, डॉ० भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों का अनुभव, वर्ल्ड फोकस, दिसम्बर २०१३, पृ०सं०—९६

२— प्रशांत, केवल राम, बाबा साहब और भारतीय नारी, उत्तर प्रदेश संदेश, अप्रैल ०१, १९९२, पृ०सं०—४०

३— स्नेही, कालीचरण, डॉ० अम्बेडकर : वैचारिकी एवं दलित विमर्श, आराधना ब्रदर्स कानपुर, २०१५, पृ०सं०—२५९

४— सिंह, अनीता, दलित चेतना और हिन्दी साहित्य, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, २०१२, पृ०सं०—२३

५— वर्मा, बबीता, गांधी अम्बेडकरदलित एवं सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, २०१२, पृ०सं०—११२—११३

६— कश्यप, आलोक कुमार, भारतीय समाज में नारी : दशा एवं दिशा, आर्या पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, २०१२, पृ०सं०—१

७— सिंह, जे.पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन २१वीं सदी में भारत, पीएच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, २०१६, पृ०सं०—२७५—२७६

८— महाजन, संजीव, समाजशास्त्र का विश्वकोशपरिवार का समाजशास्त्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली, २००९, पृ०सं०—२६९

९— यादव, जैनेन्द्र, नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा, ट्राइडेन्ट पब्लिशर्स दिल्ली, २००९, पृ०सं०—१४३

१०— सिंह, जे०पी०, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन २१वीं सदी में भारत, पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, २०१६, पृ०सं०—२७७

११— कुमार, मनीष, भारतीय नारी कलआज और कल, ग्रेसी बुक्स आजार नगर दिल्ली, २००६, पृ०सं०—१९

LBP PUBLICATION

१२— मेघवाल कुसुम, भारतीय नारी के उद्धारक डॉ० बी.आर. अम्बेडकर परिवर्धित एवं संशोधित, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, २००५, पृ०सं०—१३९—११३
१३— गड़कर, राजकुमारी, नारी चिंतन : नयी चुनौतियां, अन्नपूर्णा प्रकाशन कानपुर, २००४, पृ०सं०—६२
१४— आंबेडकर, बी.आर., हिन्दू नारी का उत्थान और पतन, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३, पृ०सं०—२५,२७,२८
१५— मेघवाल, कुसुम, भारतीय नारी के उद्धारक डॉ० बी०आर० अम्बेडकर परिवर्धित एवं संशोधित, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, २००५, पृ०सं०—८१,११३
१६— गड़कर, राजकुमारी, नारी चिन्तन : नयी चुनौतियां, अन्नपूर्णा प्रकाशन कानपुर, २००४, पृ०सं०—६४—६५
१७— सुमन, रावत, मंजु, ज्ञानेन्द्र, दलित महिलाएँ, सम्यक प्रकाशन, २००४, पृ०सं०—१४९,१५०
१८— पांडे, प्रीती, डॉ० अम्बेडकर और पं० दीनदयाल, एबीडी पब्लिशर्स जयपुर भारत, २००६, पृ०सं०—२६३—२६४
१९— सिंह, ममता, डॉ० अम्बेडकर और समकालीन भारत में बौद्ध धर्म एवं दर्शन, सम्यक प्रकाशन, २०१४, पृ०सं०—१४९
२०—खोबरागाडे, विनोद, अम्बेडकर सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान, वर्ल्ड फोकस, दिसम्बर २१, २०१३, पृ०सं०—८१
२१—शहारे, एम० एल०, हिन्दू कोड बिल की हत्या, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, २००८, पृ०सं०—६७,६८,६९
२२—मेघवाल, कुसुम, भारतीय नारी के उद्धारक, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर परिवर्धित एवं संशोधित, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, २००५, पृ०सं०—१२४
२३— पूरणमल, अम्बेडकर और दलितोद्धार आंदोलन, आविष्कार पब्लिशर्स ड्रिस्टीब्यूटर्स जयपुर, २००९, पृ०सं०—१८२
२४— स्नेही, कालीचरण, डॉ० अम्बेडकर : वैचारिकी एवं दलित विमर्श, आराधना ब्रदर्स कानपुर, २०१५, पृ०सं०—२६०
२५—शेखर, सुधांशु, सामाजिक न्याय अंबेडकर—विचार और आधुनिक संदर्भ, दर्शना पब्लिकेशन बिहार, २०१४, पृ०सं०—८४
२६—स्नेही, कालीचरण, डॉ० अम्बेडकर : वैचारिकी एवं दलित विमर्श, आराधना ब्रदर्स कानपुर, २०१५, पृ०सं०—२६०,२६१,२८४
२७—कश्यप, आलोक कुमार, भारतीय समाज में नारी : दशा एवं दिशा,आर्या पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, १९७८, पृ०सं०—१७२,१७३

कु. वर्षा
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल।

LBP PUBLICATION